

प्रेषक,  
नरेन्द्र दत्त,  
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,  
निदेशक,  
उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी,  
भवाली, नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक ०९ अक्टूबर, 2023

विषय- उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, नैनीताल की मा० शासी परिषद् की बैठक दिनांक 09.08.2023 में लिये गये निर्णयानुसार शासी परिषद् में सदस्य नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-807/01-VIII/2023 दिनांक 02.09.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी की मा० शासी परिषद् की बैठक दिनांक 09.08.2023 में लिये गये निर्णय के क्रम में शासनादेश सं०-137/XXXVI-A-1/2021-145/2018 दिनांक 26.03.2021 से गठित शासी परिषद् में सदस्य के तौर पर निम्नलिखित महानुभावों को भी सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन
2. महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त तालिका में उल्लिखित महानुभावों को अकादमी की मा० शासी परिषद् में सदस्य के तौर पर सम्मिलित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपर्युक्त शासनादेश दिनांकित 26.03.2021 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(नरेन्द्र दत्त)  
प्रमुख सचिव

क्रमशः.....2

संख्या- 394/XXXVI-A-1/2023-145/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, कौलागढ, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
7. सचिव, उत्तराखण्ड बार काउंसिल, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
8. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल।
10. वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
11. एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
09/10/2023

(सुधीर कुमार सिंह)  
अपर सचिव